**CNR No. UPDE0 100 3386 2026**

**न्यायालय जनपद न्यायाधीश, देवरिया।**

**अन्तरण प्रा0पत्र संख्या–326/2026,**
**सरकार बनाम मो0 आलम**
**सत्र परीक्षण संख्या–172/2018,**
**धारा–302,307,120बी,506 आई.पी.सी.**
**थाना–कोतवाली, जिला–देवरिया।**
**संबद्ध सत्र परीक्षण संख्या–173/2018**
**धारा–3/25 आयुध अधिनियम, थाना–कोतवाली,**
**जिला–देवरिया।**

**24–07–2026:**

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई।

प्रार्थी/आवेदक **मो0 आलम** की ओर से अन्तरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 448 बी0एन0एस0एस0 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त दोनों सत्र परीक्षण वर्तमान में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, देवरिया के न्यायालय में विचाराधीन हैं। प्रार्थी का भारतीय न्यायपालिका तथा समस्त माननीय न्यायालयों की निष्पक्षता एवं गरिमा पर पूर्ण सम्मान एवं अटूट विश्वास है। विचारण के दौरान विशेष रूप से प्रतिरक्षा साक्ष्य के समय माननीय संबंधित न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों एवं न्यायालयीन कार्यवाही के संचालन से प्रार्थी को यह युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हुई कि अभियोजन पक्ष के प्रति अपेक्षाकृत अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। उक्त परिस्थितियों के कारण प्रार्थी के मन में यह वास्तविक एवं सद्भावनापूर्ण संदेह उत्पन्न हो गया है कि उसे संबंधित न्यायालय से निष्पक्ष एवं निर्भीक न्याय प्राप्त होने में कठिनाई हो सकती है। प्रार्थी को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय की देवरिया सदर के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी से पारिवारिक/रिश्तेदारी संबंध होने की चर्चा प्रचलित है तथा उन्हें उक्त व्यवसायी के यहां आते–जाते भी देखा जाता रहा है। इस तथ्य के सत्य अथवा असत्य का अंतिम निर्णय माननीय न्यायालय का विषय है, तथापि इससे प्रार्थी के मन में निष्पक्षता के संबंध में संदेह उत्पन्न हुआ है। प्रार्थी को यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त व्यवसायी एवं वादी पक्ष के मध्य घनिष्ठ संबंध हैं तथा वादी पक्ष द्वारा यह कहा जाना कि ''साहब हमारे रिश्ते में आते हैं, हम लोग आलम को सजा करवा देंगे'', जैसी बातें प्रार्थी के संज्ञान में आईं। विचारण के दौरान भी इसी आशय की चर्चाएं सुनने में आने से प्रार्थी के मन में निष्पक्ष न्याय प्राप्त होने के संबंध में युक्तियुक्त एवं वास्तविक आशंका उत्पन्न हो गई है। प्रार्थी किसी भी प्रकार से माननीय न्यायालय की निष्पक्षता अथवा गरिमा पर कोई आरोप नहीं लगा रहा है। यह आवेदन केवल इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जा रहा है कि न्याय केवल किया ही न जाए, बल्कि होता हुआ प्रतीत भी हो। न्यायिक प्रक्रिया में पक्षकार का विश्वास बनाए रखना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। उपर्युक्त परिस्थितियों में न्यायहित में यह आवश्यक एवं उचित है कि उपरोक्त सत्र परीक्षणों को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, देवरिया के न्यायालय से किसी अन्य समकक्ष सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए अथवा माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय स्वयं उक्त वादों को अपने न्यायालय में आहूत कर विधि के अनुसार निस्तारित करने की कृपा करें। अतः न्यायहित एवं निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से सत्र परीक्षण संख्या 172/2018 (धारा 302, 307, 120–बी, 506 भा0दं0सं0) तथा संबद्ध सत्र परीक्षण संख्या 173/2018 (धारा 3/25 आयुध अधिनियम), थाना–कोतवाली, जनपद–देवरिया, जो वर्तमान में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, देवरिया के न्यायालय में विचाराधीन

हैं, उन्हें किसी अन्य समकक्ष सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने अथवा माननीय न्यायालय द्वारा स्वयं आहूत कर निस्तारित किए जाने की याचना की गई है। आवेदक द्वारा उपरोक्त अन्तरण प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त अन्तरण प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ मे संबंधित न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01, देवरिया से आख्या प्राप्त हुई जिसमें यह कहा गया कि उपरोक्त पत्रावली उक्त न्यायालय में बहस हेतु लंबित है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 08.12.2025 के माध्यम से उपरोक्त सत्र परीक्षण का निस्तारण तीन माह के अन्दर करने हेतु निर्देशित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियोजन साक्षीगण का बयान दर्ज कर अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया तथा सफाई साक्ष्य के उपरान्त पत्रावली बहस के स्तर पर विचाराधीन है। पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियोजन पक्ष के प्रति कभी भी उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है, बल्कि उभयपक्ष को निष्पक्ष भाव से देखा जाता है। किसी भी पक्ष के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। इसके अलावा शिकायती प्रार्थना पत्र में किये गये अन्य तथ्यों को मनगढ़त, काल्पनिक तथा निराधार बताते हुए यह भी कथन किया गया है कि उक्त पत्रावली का स्थानांतरण किसी अन्य न्यायालय में किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अन्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, संबंधित न्यायालय की आख्या तथा मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में अन्तरण प्रार्थना पत्र के संबंध में बिना कोई अभिमत व्यक्त किये अंतरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

अन्तरण प्रार्थना पत्र संख्या–326/2026 स्वीकार किया जाता है। सत्र परीक्षण संख्या 172/2018 (धारा 302, 307, 120–बी, 506 भा0दं0सं0) तथा संबद्ध सत्र परीक्षण संख्या 173/2018 (धारा 3/25 आयुध अधिनियम), थाना–कोतवाली, जनपद–देवरिया की पत्रावलियें को अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01, देवरिया के न्यायालय से वापस लेकर विधि सम्मत निस्तारण हेतु अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.–प्रथम), देवरिया के न्यायालय में अन्तरित किया जाता है। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश को दृष्टिगत रखते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.–प्रथम), देवरिया को निर्देशित किया जाता है कि वे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में प्राथमिकता के आधार पर मामले का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति सम्बन्धित न्यायालयों को अविलम्ब प्रेषित की जाये।

**सत्र न्यायालय**
**देवरिया।**